(1)

पत्रांक 13/प्र1-02/2015................../

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

डॉ० कमल शंकर श्रीवास्तव, भा०प्र०से०
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
बोकारो।

राँची, दिनांक...................2016

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-09 के तहत रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल, फुसरो, बेरमो को मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपके पत्रांक-1468, दिनांक 14.11.15 एवं 827, दिनांक 03.07.2015

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल, फुसरो, बेरमो को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-09 के तहत मान्यता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत विद्यालय को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित प्रावधान यथा विषयांकित विद्यालय द्वारा 25 प्रतिशत अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने की शर्त के अधीन प्रपत्र-2 में विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(कमल शंकर श्रीवास्तव)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 13/प्र1-02/2015...708.../ राँची, दिनांक...2/5/16...2016

प्रतिलिपिः सचिव, रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल, फुसरो, बेरमो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(signature) 20/05/16
(कमल शंकर श्रीवास्तव)
निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)।

(signature)
Principal
Rukmini Devi Public School
Maa Durga Mandir Phusro

(signature)
Manager
Rukmini Devi Public School
Maa Durga Mandir, Phusro, Bokaro

(2)

प्रपत्र–2

जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय
(बोकारो)

संख्यांक R.T.E/162/13-14/662 तारीख : 06.06.16

प्रबंधक / अध्यक्ष,
रूक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल,
फूसरो, बेरमो, बोकारो,
झारखण्ड।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके द्वारा दिनांक– 25.04.2013 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, मैं रूक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल, फूसरो, बेरमो, बोकारो, झारखण्ड– 829144 को शैक्षणिक सत्र 2016–17 से कक्षा I से VIII तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :–

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका– 3 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत् प्रतिपूर्तित राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालका या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।

Principal
Rukmini Devi Public School
Maa Durga Mandir Phusro

Manager
Rukmini Devi Public School
Maa Durga Mandir, Phusro, Bokaro

(3)

7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :
   i. प्रवेश दिये गए किसी भी बाकल को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।
   iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
   vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम् अहर्ता, अनिधित, 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम् अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।
   vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगे। और
   viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
10. **विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नासुसार हैं :–**
   i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – 2.14 एकड़ (93218 वर्ग फीट)
   ii. कुल निर्मित क्षेत्र – 0.85 एकड़ (37167 वर्ग फीट)
   iii. क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल – 1 एकड़ (43560 वर्ग फीट)
   iv. कक्षाओं की संख्या – 13 (तेरह)
   v. प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष – 04 (चार)
   vi. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – 20 (बालक – 10 एवं बालिका – 10)
   vii. पेयजल सुविधा – उपलब्ध है। **(Tap water- 20)**
   viii. मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय) – लागू नहीं।
   ix. बाधारहित पहुंच – है।
   x. अध्यापन पठन सामग्री/ क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता – है।
11. विद्यालय के परिसार के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

Principal
Rukmini Devi Public School
Maa Durga Mandir Phusro

Manager
Rukmini Devi Public School
Maa Durga Mandir, Phusro, Bokaro

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्याक्तयों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाने चाहिए, 1 प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक BOK/2016-17/04 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख किया जाये।

8/6/16

जिला शिक्षा अधीक्षक,
बोकारो।

Manager
Rukmini Devi Public School
Maa Durga Mandir, Phusro, Bokaro

Principal
Rukmini Devi Public School
Maa Durga Mandir Phusro